बिहार सरकार

<u>ग्रामीण विकास विभाग</u>

पत्रांक 199963 / पटना, दिनांक 5/9/14

सं0सं0-ग्रा0वि0-6/प्रति0-07-01/2008

प्रेषक,

मनोज कुमार,
विशेष कार्य पदाधिकारी ।

सेवा में,

सभी उप विकास आयुक्त,
बिहार ।

विषय:- **जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के कर्मियों को दी गयी ए0सी0पी0 के आलोक में भुगतान की गयी राशि का वसूली के संबंध में ।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, सोसाईटी रजिस्ट्रेशन एक्ट- 1860 के अंतर्गत एक निबंधित स्वायत्ताशासी निकाय है तथा जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के कर्मचारियों को सरकारी सेवक का दर्जा प्राप्त नहीं है ।

वित्त विभाग के संकल्प संख्या-7566 दिनांक- 14.07.2010 के कंडिका-3 में निहित प्रावधान के आलोक में ए0सी0पी0 केवल नियमित सरकारी सेवकों को ही दिए जाने का प्रावधान है । ऐसी स्थिति में डी0आर0डी0ए0 कर्मियों को यह अनुमान्य नहीं है । तथा ऐसे कर्मियों को गैर अनुमान्य ढंग से दी गई ए0सी0पी0 के फलस्वरूप भुगतान की गई राशि की वसूली की जा सकती है ।

अत: ऐसे सभी मामलों में उक्त प्रावधान के अनुसार कार्रवाई किया जाय ।

विश्वासभाजन

05/09/14

(मनोज कुमार)
विशेष कार्य पदाधिकारी